HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक 19.11.2025**

- **थाना पिलखुवा पुलिस ने अपहृत किशोर हिमांशु उर्फ कलुआ के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे/निशांदेही पर आलाकत्ल ईट के टुकडे व मृतक का शव व मृतक के जले हुए कपडो की राख एवं जली हुई चप्पलो के अवशेष बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त सचिन द्वारा अपने सहभियुक्त पुष्पेन्द्र के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से भतीजी से छेडछाड का बदला लेने के उद्देश्य से हिमांशु उर्फ कलुआ का अपहरण कर की थी उसकी हत्या।**

सक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 19.11.2025 की रात्रि मे वादी प्रमोद कुमार पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम कनकपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना पिलखुवा पर सूचना दी गयी कि उसके भतीजे जितेन्द्र का दतेडी गेट के पास प्रोपट्री डीलिंग का ऑफिस है। जहां पर हिमांशु उर्फ कलुआ पुत्र नरेश पंवार निवासी ग्राम कनकपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 15 वर्ष रहता था, जिसको दिनांक 17.11.2025 को सचिन उर्फ पस्सू व पुष्पेन्द्र खल की बोरी लाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर ले गये थे किन्तु हिमांशु अभी तक वापस नही आया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 661/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सचिन उर्फ पस्सू व पुष्पेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः–

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अपहृत किशोर हिमांशु उर्फ कलुआ के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशांदेही पर आलाकत्ल ईट के टुकडे व मृतक का शव व मृतक के जले हुए कपडो की राख एवं जली हुई चप्पलो के अवशेष बरामद हुए हैं। उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तार अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व सचिन से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया कि हम दोनो एक साथ हिन्दुस्तान लीवर कंपनी छिजारसी जनपद हापुड मे काम करते थे, तबसे हम दोनो मे दोस्ती है, वर्तमान मे हम दोनो रिलायस रोड पिलखुवा स्थित मैक्स कंपनी मे काम करते हैं। सचिन ने बताया कि लगभग छह सात माह पहले हिमांशु उर्फ कलुवा ने मेरी भतीजी के साथ छेडछाड की थी, जिसपर हम दोनों पक्षों मे झगडा भी हुआ था परन्तु बदनामी के डर से हमने पुलिस मे शिकायत नही की थी। इसी रंजिश के कारण मैं हिमाशु से बदला लेना चाहता था। इसलिए दिनांक 17/11/25 को मैने अपने दोस्त पुष्पेन्द्र को अपने गाँव कनकपुर बुलाया था और हम दोनों ने मिलकर घर पर बैठकर हिमांशु की हत्या करने की योजना बनाई थी। योजनाबद्ध तरीके से हम दोनो जितेन्द्र के प्रॉपर्टी डीलिंग के आफिस पर पहुॅचकर हिंमाशु उर्फ कलुवा को बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर ग्राम नाहली के पास ले गये थे और एक ईख के खेत के पास मोटरसाईकिल रोककर सचिन ने कहा कि गन्ने चूसते है और हम दोनो गन्ने के खेत मे हिमाशु को गन्ना तोडने का बहाना बनाकर घुस गये थे, जहां पर हमने हिमांशु के सिर और मुँह पर ईट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छिपाने के लिये उसके कपडे व चप्पल उतारकर कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिये थे और हिमांशु के शव को उसी गन्ने के खेत मे छिपा दिया था।

गिरफ्तारी का स्थानः– परतापुर दतेडी रोड।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1– सचिन उर्फ पस्सू पुत्र जगदीश निवासी कनकपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ।

2– पुष्पेन्द्र पुत्र दिनेश उर्फ विनेश सिह निवासी ग्राम मानपुर रामपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी राजबीर का मकान ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरणः–

1. मृतक का शव व आलाकत्ल ईट के टुकडे ।
2. मृतक के जले हुए कपडो की राख एवं जली हुई चप्पलो के अवशेष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यौपाल सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2. व0उ0नि0 श्री इजहाउल इस्लाम थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
5. उ0नि0 श्री प्रवेन्द्र सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
6. है0का0 54 अभिषेक थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
7. है0का0 828 अंकित सैनी थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
8. है0का0 117 नीतू सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
9. का0 976 सौरभ यादव थाना पिलखुवा जनपद हापुड।